पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाइट www.ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 1178/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 15.07.2024

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश संख्या 12/I(2)/2021–06(2)–02/2015 टी0सी0–1 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में कारपोरेशन आदेश संख्या 508/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 06.04.2022 के क्रियान्वयन के उपरान्त कारपोरेशन के संज्ञान में लाया गया है कि वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था में एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में सीधी भर्ती वाले पद पर नियुक्ति/चयन के फलस्वरूप कार्मिकों को उन कार्मिकों की तुलना में, जो अपने संवर्ग में यथावत् बने हुए है, से कम वेतन प्राप्त हो रहा है, जिससे कार्मिकों के वेतन में विसंगति उत्पन्न हो रही है। ऐसे कार्मिकों के तुलनात्मक वेतन हानि (Comparative loss of pay) के सन्दर्भ में तीनों ऊर्जा निगमों की गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/संस्तुति पर दिनांक 02.12.2023 को तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की आहूत संयुक्त बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त बनी सहमति के क्रम में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या 153/का0वि0नि0/रा0वि0पा0–29/96–4(3)/पी–86 दिनांक 03.04.1996 एवं आदेश संख्या 404/का0वि0नि0/रा0वि0पा0–20/98–4–6(20)/पी/86 दिनांक 31.03.1998 में निहित प्राविधानों के अनुक्रम में कारपोरेशन आदेश संख्या 1938/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ ई–5/2 दिनांक 25.07.2008 एवं आदेश संख्या 297/ मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 06.03.2017 के द्वारा पूर्व में आगमन बिन्दु (Induction Point) से समयबद्ध वेतनमान हेतु विकल्प की व्यवस्था को वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु लागू करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

1. यदि किसी कार्मिक की सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के उपरान्त अन्य संवर्ग के सीधी भर्ती वाले पद पर चयन प्रक्रिया के तहत पदोन्नति/नियुक्ति के फलस्वरूप आगमन बिन्दु (Induction Point) परिवर्तित होता है और उस परिवर्तित आगमन बिन्दु में समयावधि की गणना करने पर वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु जो लाभ प्राप्त होता है वह पूर्व धारित पद की सेवा के सन्दर्भ में प्राप्त लाभ से कम है, तो ऐसी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सन्दर्भित कार्मिक को यह विकल्प प्रदान कर दिया जाये कि वह अंतिम सीधी भर्ती के पद अथवा पूर्व सीधी भर्ती के धारित पदों में से किसी एक को अंगीकार करें।

2. उक्त विकल्प प्राप्त करने हेतु प्रभावित कार्मिक को अपने नियंत्रक अधिकारी (Controlling officer) को प्रार्थना पत्र/प्रतिवेदन देना होगा। नियंत्रक अधिकारी को प्रभावित कार्मिक का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनका यह दायित्व होगा कि वह प्रभावित कार्मिक के प्रतिवेदन का अपने स्तर से विधिवत परीक्षण कर प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों से संतुष्ट होने पर विकल्प की सुविधा उक्त कार्मिकों को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रकरण अपनी संस्तुति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर की समिति को उपलब्ध करायेंगे, जिसके पश्चात समिति द्वारा विकल्प पत्र के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

3. उक्त विकल्प अन्य संवर्ग में चयन प्रक्रिया के तहत पदोन्नति/नियुक्ति पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से 90 दिन या इस आदेश के निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर दिया जाना अनिवार्य होगा। केवल एक बार विकल्प दिये जाने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा एक बार दिये गये विकल्प को संशोधित/वापस नहीं लिया जायेगा। किसी भी दशा में दिये गये विकल्प के अनुसार किये गये वेतन निर्धारण को पुनः वापस नहीं लिया जा सकेगा। जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं दिया जायेगा, उनके सम्बन्ध में ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु आगमन बिन्दु (Induction Point) सीधी भर्ती का अन्तिम धारित पद होगा।

क्रमशः.........................2

4. आदेश के निर्गमन की तिथि से पूर्व का न तो कोई अवशेष देय होगा और न ही कोई प्रत्याप्ति (Recovery) की जायेगी।

संलग्नक :– विकल्प–पत्र ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1178/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव/डॉ0ए0ओ0–निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना) पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल................................ ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.. ।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0–प्रथम), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को पिटकुल की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,... ।
7. कट फाइल।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0) (औ0)

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक .07.2024 का विकल्प पत्र

मैं...वर्तमान पद...
जो कि वेतनमान..में (कार्यालय का नाम)..
में कार्यरत हूँ, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति हेतु :–

1. पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या 153/का0वि0नि0/रा0वि0पा0–29/96–4(3)/पी–86 दिनांक 03.04.1996 एवं आदेश संख्या 404/का0वि0नि0/रा0वि0पा0–20/98–4–6(20)पी/86 दिनांक 31.03.1998, कारपोरेशन आदेश संख्या 1938/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–5/2 दिनांक 25.07.2008 एवं आदेश संख्या 297/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 06.03.2017 में निहित प्राविधानों के परिपेक्ष्य में वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति हेतु पूर्व संवर्ग के पूर्व धारित पद.. दिनांक..............................से अपना विकल्प चुनता हूँ/चुनती हूँ। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ/समझती हूँ कि पूर्व संवर्ग के पूर्व धारित पद से वित्तीय स्तरोन्नयन का विकल्प चुनने के फलस्वरूपम मुझे नवीन संवर्ग के नवीन पद से वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अथवा

नवीन संवर्ग के सीधी भर्ती के फलस्वरूप धारित पद...दिनांक .... से अपना विकल्प चुनता हूँ/चुनती हूँ। (जो प्रयोज्य न हो उसे काट दें)

2. मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ/समझती हूँ कि उक्त विकल्प अन्तिम (Final) व अप्रतिसहाय (irrevocable) होगा तथा किसी भी दशा में वापस नहीं लिया जा सकता है।

भवदीय

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

(1) हस्ताक्षर...
पूरा नाम...
कार्यालय का नाम..
दिनांक ....

हस्ताक्षर...
पूरा नाम...
कार्यालय का नाम..
दिनांक ....

(1) हस्ताक्षर...
पूरा नाम...
कार्यालय का नाम..
दिनांक ....

प्रतिहस्ताक्षर

(नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर)
दिनांक...